

बिहार सरकार
गृह (आरक्षी) विभाग

आदेश

संख्या0:- 4/वि1-10-54/2012 गृ0आ0 /पटना,दिनांक

विभागीय आदेश सं0- 8261 दिनांक 16.10.2012 के कंडिका- 2 में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष 22 फरवरी से 27 फरवरी तक पुलिस सप्ताह के रूप में एवं 27 फरवरी को पुलिस दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है।

शेष यथावत रहेगा। इसे इस हद तक संशोधित समझा जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(नरेश कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:- 4/वि1-10-54/2012 गृ0आ0 /पटना,दिनांक

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:- 4/वि1-10-54/2012 गृ0आ0 1804/पटना,दिनांक 8/3/16
प्रतिलिपि:- राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार, पटना/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/सभी महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक/सभी जिलाधिकारी/सभी पुलिस अधीक्षक, बिहार, पटना/समादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी/आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

E-Mail

२२२
५/३

सरकार के अवर सचिव।